न्यायालयः–उपखण्ड अधिकारी, सलूम्बर जिला–सलूम्बर (राज.)

बजरिये श्री पर्वत सिंह चूण्डावत आर.ए.एस
प्रकरण संख्या 42/2023 प्रा.प.
उनवान

श्री मोडाराम पिता कचरा डांगी उम्र बालिग जाति डांगी निवासी खेराड, तहसील सलूम्बर जिला–सलूम्बर (राज.)

–प्रार्थी

विरूद्ध

1. श्री नाथुलाल पिता मावजी पटेल उम्र बालिग
2. श्रीमती धापु पत्नी नाथुलाल पटेल उम्र बालिग
3. श्री गौतमलाल पिता नाथुलाल पटेल उम्र बालिग
4. श्रीमती प्रेमी पत्नी मावजी पटेल उम्र बालिग

सभी निवासीयान खेराड तहसील सलूम्बर जिला सलूम्बर (राज.)।

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1, 2 व धारा 151 जा.दी. एवं धारा 212 आर.टी.ए एक्ट

–::निर्णय::–

दिनांकः–23/12/24

उपस्थितिः– श्री प्रकाश कुमार चौबिसा अधिवक्ता – प्रार्थी
श्री राकेश प्रजापत अधिवक्ता – विपक्षीगण

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व आदेश 39 नियम 1, 2 एवं सपठित धारा–151 जा.दी. प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा खेराड पटवार हल्का खेदाड तहसील सलूम्बर में वादी के स्वामित्व की कृषि भूमि खाता संख्या नया 19 पुराना 14 आराजी नम्बर 2256 स्थित है जो एकमात्र वादी के स्वामित्व, कब्जेकाश्त की है जिसके पास वादी एवं विपक्षीगणों की संयुक्त खातेदारी की भूमि स्थित है।

प्रार्थी अपने स्वामित्व की कृषि भूमि में से होकर अपने काश्तकारी भूमि में आता जाता है व आबादी भूमि में बाडा व मकान आदि बना रखा है परन्तु विपक्षीगण जबरन अब वादी की कृषि भूमि में अतिक्रमण कर वहां निर्माण कर विपक्षीगण वादी का रास्ता अवरूद्ध कर रहे है जबकि वादग्रस्त कृषि भूमि वादी के एकमात्र स्वामित्व की है और जिसमें विपक्षीगण को अवरोध पैदा कर किसी प्रकार का निर्माण करने का कोई अधिकार नहीं है, ना ही वादी के मार्ग को अवरूद्ध करने का अधिकार है। वाद हेतुक सर्वप्रथम दिनांक 17–05–2023 को उत्पन्न हुआ जब विपक्षीगण ने वादी की कृषि भूमि में बने हुये बाड को उखाड कर वहां जबरन निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया और प्रार्थी के आने जाने का रास्ता बन्द करने का प्रयास किया एवं तभी से लगातार उत्पन्न हो रहा है। वादग्रस्त भूमि का एकमात्र स्वामी प्रार्थी है जिससे प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा सन्तुलन एवं अपुरणिय क्षति विपक्षीगण के विरूद्ध एवं प्रार्थी के पक्ष में है। अतः निवेदन है कि मुलवाद के निस्तारण तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा फरमाई जावे कि विपक्षीगण वादग्रस्त भूमि पर किसी प्रकार से अतिक्रमण, निर्माण इत्यादी नहीं करे, एवं प्रार्थी के आवागमन में किसी प्रकार से अवरोध पैदा नहीं करे, ना ही उक्त कृत्य अपने नौकरो, एजेन्ट अथवा मजदुरो से करावे।

प्रार्थना पत्र बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस सूचित किया गया। आदेशिका दिनांक 19–07–2023 को विपक्षीगण के गैर हाजिर रहने

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

से विपक्षीगण के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही कीं गई तद्पश्चता पत्रावली मे अधिवक्ता प्रार्थी को सुना जाकर प्रकरण मे अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारि की गई। विपक्षीगण की ओर से अधिवक्ता श्री राकेश प्रजापत ने मूलवाद मे वकालतनामा पेश किया तथा पत्रावली मे दो तरफा कार्यवाही किये जाने का निवेदन किया जिस पर अधिवक्ता प्रार्थी-ने कोई आपत्ति नही होना जाहिर किया।

पत्रावली पर उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस मे अपने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराया एवं निवेदन किया कि विपक्षीगण पैसे वाले होकर प्रभावशाली व्यक्ति है जिसमे से एक अध्यापक हैं। प्रार्थी एक गरीब आदमी है। विपक्षीगण मुझ प्रार्थी की भूमि हडपने पर आमादा है। वादग्रस्त भूमि में प्रार्थी अकेला खातेदार हैं। अतः जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से विपक्षीगण को प्रार्थी के आराजीयात की भूमि मे दखल से रोका जावे।

अधिवक्ता विपक्षीगण ने बहस मे कथन किया कि प्रार्थी की 3 हैक्टेयर से अधिक भूमि है, अतः प्रार्थी गरीब नही है। हमने कोई अतिक्रमण नहीं किया है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की अन्य शामलाती भूमि ओर है। जिसके विभाजन का दावे मे न्यायालय द्वारा प्रारम्भिक डिक्री जारी हो रखी है उसकी रिपोर्ट भी जल्द ही आ जाएगी। हमने किसी प्रकार का कोई नया कब्जा नहीं किया है भूमि की किमतें बढ़ने के कारण प्रार्थी वाद लाए है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

बहस मनन की गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज एवं राजस्व रेकॉर्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थी मौजा खेराड पटवार हल्का खेदाड तहसील सलूम्बर जमाबंदी संवत् 2075–2078 खाता संख्या नया 19 पुराना 14 आराजी नम्बर 2256 का रिकोर्डेड खातेदार है। जिससे प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा सन्तुलन एवं अपुरणिय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष मे उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायालय उचित समझता है।

–::आदेश::--

अतः मौजा खेराड पटवार हल्का खेदाड तहसील सलूम्बर जमाबंदी संवत् 2075–2078 खाता संख्या नया 19 पुराना 14 आराजी नम्बर 2256 रकबा 0.4900 हैक्टेयर वादग्रस्त आराजीयात की भूमि मे मूलवाद के निस्तारण तक विपक्षीगण बेजा मजाहमत व दखंदाजी न करे।

आदेश दिनांक 23/12/24 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर सलूम्बर, जिला-सलूम्बर (राज.)

(पर्वत सिंह चूण्डावत RAS)
उपखण्ड अधिकारी सलूम्बर
जिला सलूम्बर